रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 16, 2003/आश्विन 24, 1925
No. 503] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 16, 2003/ASVINA 24, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 818(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत बैंक साधारण (दूसरा संशोधन)नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 में, नियम 13 के उपनियम 4 में,-

(1) खण्ड (क) और (ख) में, " साठ हज़ार रुपए " शब्दों के स्थान पर " एक लाख रुपए " शब्द रखे जाएंगे ;

(2) खण्ड (ख) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं0	प्राधिकारी का नाम	सीमा (रुपयों में)
1	2	3
(i)	काल वेतनमान विभागीय नायब डाकपाल	1,000

(1)	(2)	(3)
(ii)	निम्नतर चयन श्रेणी में नायब डाकपाल	2,000
(iii)	उच्चतर चयन श्रेणी में नायब डाकपाल / उप डाकपाल / डाकपाल (सभी अराजपत्रित पद)	5,000
(iv)	उप डाकपाल / ज्येष्ठ डाकपाल / उप प्रधान डाकपाल / डाक विभाग का अधीक्षक / उप अधीक्षक (सभी समूह "ख" राजपत्रित पद)	20,000
(v)	मुख्य कार्यालय में प्रधान डाकपाल, ज्येष्ठ अधीक्षक (सभी राजपत्रित समूह " क")	50,000
(vi)	क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रधान डाकघर) (मुम्बई और कोलकाता में)	75,000
(vii)	मुख्य महाडाकपाल / महा डाकपाल (मुख्यालय और क्षेत्र)	1,00,000 " ;

[सं. 2/18/2002-एनएस-II]

पी. सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण: — मुख्य नियमों को सा.का.नि. 662 (अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 के द्वारा प्रकाशित तथा उसके बाद सा.का.नि. 483 (अ), दिनांक 10 जून, 1983, सा.का.नि. 723 (अ), दिनांक 4 सितम्बर, 1985, सा.का.नि. 1000 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 490 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 348 (अ), दिनांक 10 मई, 2002 तथा सा.का.नि. 586 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 2003 द्वारा संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2003

G.S.R. 818(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, namely: -

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank General (Second Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, in rule 13, in sub-rule 4,-

(1) in clauses (a) and (b), for the words "sixty thousand rupees" the words " one lakh rupees" shall be substituted;

(2) in clause (b), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table

Sl. No.	Name of Authority	Limit (in Rs.)
1	2	3
(i)	Time Scale Departmental Sub-Postmasters	1,000
(ii)	Sub-Postmasters in Lower Selection Grade	2,000
(iii)	Sub-Postmasters/Deputy Postmasters/Postmasters in Higher Selection Grade *(All non-Gazetted)*	5,000
(iv)	Deputy Postmasters/Senior Postmasters/Deputy Chief Post Masters/Superintendent of Post Offices/Deputy Superintendent *(All Gazetted Group-B)*	20,000
(v)	Chief Postmasters in Head Offices, Senior Superintendents (*All Gazetted Group-A)*	50,000
(vi)	Regional Directors/Director (General Post Offices) *(In Mumbai and kolkata)*	75,000
(vii)	Chief Postmasters General/Postmasters General *(Headquarter and Region)*	1,00,000";

[F. No. 2/18/2002-NS-II]

P. C. SINGH, Under Secy.

Note:— The principal rules were published vide GSR 662(E), dated the 17th December, 1981 and subsequently amended vide GSR 483(E), dated the 10th June, 1983; GSR 723(E), dated the 4th September, 1985; GSR 1000(E), dated the 1st January, 1990; GSR 490(E), dated the 6th July,1999; GSR 348(E), dated the 10th May, 2002 and GSR 586(E), dated 25th July, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 819(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर (मासिक आय खाता) (तीसरा संशोधन)नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. डाकघर (मासिक आय खाता) नियम, 1987 में, नियम 9 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

" **9क परिपक्व होने के पश्चात् ब्याज** - जहां निक्षेप का प्रतिसंदाय जिसमें बोनस भी है, नियम 9 के अधीन देय हो गया है, किन्तु दिया नहीं गया है, वहां देय रकम पर ब्याज परिपक्वता की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप के प्रतिसंदाय की तारीख तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ब्याज साधारण होगी और एकल या संयुक्त प्रकार के खाते के बचत खातों में समय-समय पर लागू दर पर संगणित की जाएगी, और

(ख) ऐसी अवधि के किसी भाग पर जो एक मास से कम है, ब्याज के संदाय के प्रयोजन के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(ग) निक्षेपकर्ता को, देय रकम के प्रतिसंदाय के समय ब्याज का एकमुश्त संदाय किया जाएगा ।

[सं. 2/18/2002-एनएस-II]

पी. सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण: — मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था उसमें सा.का.नि. 805(अ), तारीख 21 जुलाई, 1988, सा.का.नि. 46(अ), तारीख 20 जनवरी, 1989, सा.का.नि. 581(अ), तारीख 12 सितम्बर, 1991, सा.का.नि. 430(अ), तारीख 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 390(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1993, सा.का.नि. 5(अ), तारीख 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 45(अ), तारीख 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 80(अ), तारीख 1 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 613(अ), तारीख 18 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 161(अ), तारीख 7 मार्च, 2002, सा.का.नि. 350(अ), तारीख 10 मई, 2002, सा.का.नि. 176(अ), तारीख 1 मार्च, 2003 तथा सा.का.नि. 758(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2003

G.S.R. 819(E).— In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, namely: -

1. (1) These rules may be called the Post Office (Monthly Income Account) (Third Amendment) Rules, 2003.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Post Office (Monthly Income Account) Rules, 1987, after rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"**9A Post-maturity interest.** - Where repayment of a deposit, inclusive of bonus, under rule 9 has become due but has not been made, interest shall be allowed on the amount due for a maximum period of two years from the date of maturity to the date of repayment of the deposit subject to the following conditions, namely:-

(a) The interest shall be simple and shall be calculated at the rate applicable from time to time to savings accounts of the type of single or joint account.

(b) For the purpose of payment of interest, any part of the period which is less than one month shall be ignored.

(c) The interest shall be paid to the depositor in lumpsum at the time of repayment of amount due.".

[F. No. 2/18/2002-NS-II]
P. C. SINGH, Under Secy.

Note:— The principal rules were published vide GSR 701(E), dated the 10th August, 1987 and subsequently amended vide GSR 805(E), dated the 21st July, 1988; GSR 46(E), dated the 20th January, 1989; GSR 581(E), dated the 12th September, 1991; GSR 430(E), dated the 24th April, 1992; GSR 390(E), dated the 29th April, 1993; GSR 585(E), dated the 2nd September, 1993; GSR 5(E), dated the 1st January, 1999; GSR 45(E), dated the 15th January, 2000; GSR 80(E), dated the 1st February, 2000; G.S.R. 613(E), dated the 18th July, 2000; GSR 153(E) dated the 1st March, 2001; GSR 161(E) dated the 1st March, 2002; GSR 350(E) dated the 10th March, 2002, G.S.R. 176(E), dated the 1st March, 2003 and G.S.R 758(E), dated the 23rd September, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 820(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचतपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचतपत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचतपत्र (आठवां निर्गम) (चौथा संशोधन) नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन का तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय बचतपत्र (आठवां निर्गम) नियम, 1989 में,-

(i) नियम 15 के पश्चात्, निम्नलिख्त नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 15क **परिपक्व होने के पश्चात् ब्याज** - जहां निक्षेप का प्रतिसंदाय जिसमें बोनस भी है, नियम 15 के अधीन देय हो गया है, किन्तु दिया नहीं गया है, वहां देय रकम पर ब्याज परिपक्वता की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप के प्रतिसंदाय की तारीख तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ब्याज साधारण होगी और एकल या संयुक्त प्रकार के खाते के बचत खातों में समय-समय पर लागू दर पर संगणित की जाएगी, और

(ख) ऐसी अवधि के किसी भाग पर जो एक मास से कम है, ब्याज के संदाय के प्रयोजन के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(ग) निक्षेपकर्ता को, देय रकम के प्रतिसंदाय के समय ब्याज का एकमुश्त संदाय किया जाएगा ।

(ii) नियम 20 में,-

(1) उपनियम (1) में, " 60,000 रु0 " अंकों और शब्द के स्थान पर " एक लाख रुपए " शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उपनियम (2) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

" **सारणी**

क्रम सं0	प्राधिकारी का नाम	सीमा (रुपयों में)
1	2	3
(i)	काल वेतनमान विभागीय नायब डाकपाल	1,000
(ii)	निम्नतर चयन श्रेणी में नायब डाकपाल	2,000
(iii)	उच्चतर चयन श्रेणी में नायब डाकपाल / उप डाकपाल / डाकपाल (सभी अराजपत्रित पद)	5,000
(iv)	उप डाकपाल / ज्येष्ठ डाकपाल / उप प्रधान डाकपाल / डाक विभाग का अधीक्षक / उप अधीक्षक (सभी समूह "ख" राजपत्रित पद)	20,000
(v)	मुख्य कार्यालय में प्रधान डाकपाल, ज्येष्ठ अधीक्षक (सभी राजपत्रित समूह " क")	50,000
(vi)	क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रधान डाकघर) (मुम्बई और कोलकाता में)	75,000
(vii)	मुख्य महाडाकपाल / महा डाकपाल (मुख्यालय और क्षेत्र)	1,00,000 " ;

[सं. 2/18/2002-एनएस-II]

पी. सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:— मुख्य नियमों को सा.का.नि. 496 (अ), दिनांक 1 मई, 1989 के द्वारा प्रकाशित तथा उसके बाद सा.का.नि. 508 (अ), दिनांक 23 मई, 1990, सा.का.नि. 120(अ), दिनांक 8 मार्च, 1998, सा.का.नि. 7(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 47(अ), दिनांक 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 156(अ), दिनांक 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2001, सा.का.नि. 163(अ), दिनांक 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 17 अक्तूबर, 2002, सा.का.नि. 179(अ), दिनांक 1 मार्च, 2003, सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2003 तथा सा.का.नि. 591(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2003 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2003

G.S.R. 820(E).— In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) (Fourth Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Rules, 1989, -

(i) after rule (15), the following rule shall be inserted, namely:-

" **15A Post-maturity interest:** - Where repayment of the amount, inclusive of interest, under rule 15 has become due but has not been made, interest shall be allowed on the amount due for a maximum period of two years from the date of maturity to the date of repayment of the amount subject to the following conditions, namely:-

(a) The interest shall be simple and shall be calculated at the rate applicable from time to time to savings accounts of the type of single or joint account.

(b) For the purpose of payment of interest, any part of the period which is less than one month shall be ignored.

(c) The interest shall be paid to the depositor in lumpsum at the time of repayment of amount due.";

(ii) in rule 20,-

(1) in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs. 60,000", the words "one lakh rupees" shall be substituted;

(2) in sub-rule (2), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table

Sl. No.	Name of Authority	Limit (in Rs.)
1	2	3
(i)	Time Scale Departmental Sub-Postmasters	1,000
(ii)	Sub-Postmasters in Lower Selection Grade	2,000
(iii)	Sub-Postmasters/Deputy Postmasters/Postmasters in Higher Selection Grade *(All non-Gazetted)*	5,000
(iv)	Deputy Postmasters/Senior Postmasters/Deputy Chief Post Masters/Superintendent of Post Offices/Deputy Superintendent *(All Gazetted Group-B)*	20,000
(v)	Chief Postmasters in Head Offices, Senior Superintendents *(All Gazetted Group-A)*	50,000
(vi)	Regional Directors/Director (General Post Offices) *(In Mumbai and kolkata)*	75,000
(vii)	Chief Postmasters General/Postmasters General *(Headquarter and Region)*	1,00,000";

[F. No. 2/18/2002-NS-II]

P. C. SINGH, Under Secy.

Note :— The principal rules were published vide GSR 496 (E) dated 1st May, 1989 and subsequently amended vide GSR 508 (E) dated 23rd May, 1990; GSR 120 (E) dated 8th March, 1998; GSR 7(E) dated 1st January, 1999; GSR 491 (E) dated 6th July, 1999; GSR 47(E) dated 15th January, 2000; GSR 156(E) dated 1st March, 2001; GSR 572(E) dated 2nd August, 2001; GSR 163(E) dated 1st March, 2002; GSR 711(E) dated 17th October, 2002; GSR 179(E) dated 1st March, 2003; GSR 590(E) dated 25th July, 2003 and GSR 591(E) dated 25th July, 2003.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2003

सा.का.नि. 821(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचतपत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसान विकास पत्र नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र (तीसरा संशोधन)नियम, 2003 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. किसान विकास पत्र नियम, 1988 में,-

(i) नियम 12क में,-

(1) उपनियम (1) में, " 60,000 रु0 " अंकों और शब्द के स्थान पर " एक लाख रुपए " शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उपनियम (2) में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

"सारणी

क्रम सं0	प्राधिकारी का नाम	सीमा (रुपए में)
1	2	3
(i)	काल वेतनमान विभागीय नायब डाकपाल	1,000
(ii)	निम्नतर चयन श्रेणी में नायब डाकपाल	2,000
(iii)	उच्चतर चयन श्रेणी में नायब डाकपाल / उप डाकपाल / डाकपाल (सभी अराजपत्रित पद)	5,000
(iv)	उप डाकपाल / ज्येष्ठ डाकपाल / उप प्रधान डाकपाल / डाक विभाग का अधीक्षक / उप अधीक्षक (सभी समूह "ख" राजपत्रित पद)	20,000
(v)	मुख्य कार्यालय में प्रधान डाकपाल, ज्येष्ठ अधीक्षक (सभी राजपत्रित समूह " क")	50,000

1	2	3
(vi)	क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक (प्रधान डाकघर) (मुम्बई और कोलकाता में)	75,000
(vii)	मुख्य महाडाकपाल / महा डाकपाल (मुख्यालय और क्षेत्र)	1,00,000 " ;

(ii) नियम 13 के पश्चात्, निम्नलिखत नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" 13क **परिपक्व होने के पश्चात् ब्याज** - जहां निक्षेप का प्रतिसंदाय जिसमें बोनस भी है, नियम 12 के अधीन देय हो गया है, किन्तु दिया नहीं गया है, वहां देय रकम पर ब्याज परिपक्वता की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप के प्रतिसंदाय की तारीख तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात् :-

(क) ब्याज साधारण होगी और एकल या संयुक्त प्रकार के खाते के बचत खातों में समय-समय पर लागू दर पर संगणित की जाएगी, और

(ख) ऐसी अवधि के किसी भाग पर जो एक मास से कम है, ब्याज के संदाय के प्रयोजन के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

(ग) निक्षेपकर्ता को, देय रकम के प्रतिसंदाय के समय ब्याज का एकमुश्त संदाय किया जाएगा ।

[सं. 2/18/2002-एनएस-II]

पी. सी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण:— मुख्य नियमों को सा.का.नि. 370 (अ), दिनांक 22 मार्च, 1988 के द्वारा प्रकाशित तथा उसके बाद सा.का.नि. 81 (अ), दिनांक 6 फरवरी, 1989, सा.का.नि. 8 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 728 (अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 1991, सा.का.नि. 432 (अ), दिनांक 24 अप्रैल, 1992, सा.का.नि. 567 (अ), दिनांक 20 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 588 (अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1993, सा.का.नि. 119 (अ), दिनांक 8 मार्च, 1995, सा.का.नि. 4 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 1998, सा.का.नि. 492 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 1999, सा.का.नि. 659 (अ), दिनांक 23 सितम्बर, 1999, सा.का.नि. 660 (अ), दिनांक 23 सितम्बर, 1999, सा.का.नि. 765 (अ), दिनांक 11 नवम्बर, 1999, सा.का.नि. 48 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 155 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2001, सा.का.नि. 164 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 180 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2003 तथा सा.का.नि. 592 (अ), दिनांक 25 जुलाई, 2003 द्वारा संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2003

G.S.R. 821(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Kisan Vikas Patra Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Kisan Vikas Patra (Third Amendment) Rules, 2003.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Kisan Vikas Patra Rules, 1988, -

(i) in rule 12 A, -

(1) in sub-rule (1), for the letters and figures "Rs. 60,000", the words "one lakh rupees" shall be substituted;

(2) in sub-rule (2), for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

"Table

Sl. No.	Name of Authority	Limit (in Rs.)
1	2	3
(i)	Time Scale Departmental Sub-Postmasters	1,000
(ii)	Sub-Postmasters in Lower Selection Grade Post Offices	2,000
(iii)	Sub-Postmasters/Deputy Postmasters/Postmasters in Higher Selection Grade *(All non-Gazetted)*	5,000
(iv)	Deputy Postmasters/Senior Postmasters/Deputy Chief Post Masters/Superintendent of Post Offices/Deputy Superintendent *(All Gazetted Group-B)*	20,000
(v)	Chief Postmasters in Head Offices, Senior Superintendents *(All Gazetted Group-A)*	50,000
(vi)	Regional Directors/Director (General Post Offices) *(In Mumbai and kolkata)*	75,000
(vii)	Chief Postmasters General/Postmasters General *(Headquarter and Region)*	1,00,000";

(ii) after rule (13), the following rule shall be inserted, namely:-

" **13A Post-maturity interest:** - Where repayment of the amount, inclusive of interest, under rule 12 has become due but has not been made, interest shall be allowed on the amount due for a maximum period of two years from the date of maturity to the date of repayment of the amount subject to the following conditions, namely:-

(a) The interest shall be simple and shall be calculated at the rate applicable from time to time to savings accounts of the type of single or joint account.

(b) For the purpose of payment of interest, any part of the period which is less than one month shall be ignored.

(c) The interest shall be paid to the depositor in lumpsum at the time of repayment of amount due."

[F. No. 2/18/2002-NS-II]

P. C. SINGH, Under Secy.

Note :— The principal rules were published vide GSR 370 (E) dated the 22nd March, 1988 and subsequently amended vide GSR 81 (E) dated the 6th February, 1989; GSR 8 (E) dated the 4th January, 1990; GSR 728(E) dated the 6th December, 1991; GSR 432 (E) dated the 24th April, 1992; GSR 567(E) dated the 20th August, 1993; GSR 588(E) dated the 2nd September, 1993; GSR 119(E) dated the 8th March, 1995; GSR 4(E) dated the 1st January, 1999; GSR 492(E) dated the 6th July, 1999; GSR 659(E) dated the 23rd September, 1999; GSR 660(E), dated the 23rd September,1999; GSR 765(E), dated the .11th November, 1999; GSR 48(E), dated the 15th January, 2000; GSR 155(E), dated the 1st March, 2001; GSR 164(E), dated the 1st March, 2002; GSR 180(E), dated the 1st March, 2003 and GSR 592(E), dated the 25th July, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.